डाक / ई–मेल

पत्रांक – खा०बज०–3 (मु०दा०भा०यो०)–05 / 2020 – 1252

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
प० सिंहभूम, चतरा, बोकारो, धनबाद, पलामू, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग एवं देवघर।

/ राँची, दिनांक – 22.05.20

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना के बजट शीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना / 102–सिविल पूर्ति योजना–23–मुख्यमंत्री दाल–भात / कैंटीन योजना–06–अनुदान–52–सबसिडी (18S345600–796 / 102–230652) के अंतर्गत "प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों" के संचालन हेतु राशि रूपये 39,56,340 / – (रूपये उनचालीस लाख छप्पन हजार तीन सौ चालीस मात्र) मात्र के आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–865, दिनांक 07.04.2020, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या – 37 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1218, दिनांक 20.05.2020।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री दाल–भात / कैंटीन योजना के संचालन, विशेष दाल–भात केन्द्रों, अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों एवं प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों के संचालन हेतु प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कुल रूपये 70,00,00,000.00 (रूपये सत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसका ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या 37 है।

2. उक्त स्वीकृत राशि से कोविड–19 के संकट के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों से बहुत बड़ी संख्या झारखण्ड आ रहे प्रवासी मजदूरों की जरूरत को देखते हुए राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से दिनांक 31 मई, 2020 तक की अवधि हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1218, दिनांक 20.05.2020 द्वारा स्वीकृत 94 **"प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों"** के संचालन हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन जिलावार निम्नवत् किया जाता है–

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों की संख्या	केन्द्र संचालन की तिथि	संचालन अवधि	चावल एवं दाल हेतु प्रति केन्द्र प्रतिदिन रू.1330 की दर से जिलावार संभावित व्यय	प्रति केन्द्र प्रति दिन रू. 1000 की दर से एकमुश्त उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प० सिंहभूम	8	20.05.2020 से	12 दिन	127680	96000	223680
2	चतरा	5	20.05.2020 से	12 दिन	79800	60000	139800
3	बोकारो	6	20.05.2020 से	12 दिन	95760	72000	167760
4	धनबाद	5	20.05.2020 से	12 दिन	79800	60000	139800
5	पलामू	6	20.05.2020 से	12 दिन	95760	72000	167760

E:\Mukesh - 2020-21\0. Plan Allotment - Combined 5. Dal-Bhat\8th_1O_Allot... Migrant Labour.doc

6	गोड्डा	6	20.05.2020 से	12 दिन	95760	72000	167760
7	पूर्वी सिंहभूम	8	20.05.2020 से	12 दिन	127680	96000	223680
8	गढ़वा	30	01.05.2020 से	31 दिन	1236900	930000	2166900
9	हजारीबाग	10	20.05.2020 से	12 दिन	159600	120000	279600
10	देवघर	10	20.05.2020 से	12 दिन	159600	120000	279600
कुल		94	-	-	**2258340**	**1698000**	**3956340**

(रूपये उनचालीस लाख छप्पन हजार तीन सौ चालीस मात्र)

3. उपरोक्त के क्रम में संबंधित जिलों के उपायुक्तों से अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में स्वीकृत किये गये विभिन्न श्रेणी के दाल–भात केन्द्रों की आवश्यकता को देखते हुए सम्प्रति अकार्यरत दाल–भात केन्द्रों को भी ऐसे जिलों में अवस्थित राजमार्गों पर स्थानान्तरित करते हुए संचालित किया जा सकता है। इस क्रम में अन्य चालू दाल–भात केन्द्रों, जो राजमार्ग के निकट अवस्थित एवं कार्यरत हों, को भी राजमार्ग पर स्थानान्तरित करते हुए संचालित कराया जा सकता है।

4. उपरोक्त क्रम में जिला द्वारा संबंधित केन्द्र संचालक का चयन कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चावल तथा चना दाल का क्रय कर केन्द्र संचालक को दिया जायेगा। संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चयनित केन्द्र संचालक को विविध खर्चो यथा ईंधन, मशाला, सब्जी आदि हेतु प्रतिदिन रू. 1000/– प्रति केन्द्र की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रों का संचालन प्रवासी मजदूरों के आवागमन को देखते हुए राजमार्गों के यथोचित बिन्दुओं पर किया जायेगा।

5. प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों के लिए 200 लाभुकों हेतु 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से संबंधित प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्र संचालकों को चावल तथा 5 किलोग्राम दाल मुफ्त में आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त सब्जी, ईंधन, तेल, नमक आदि की व्यवस्था केन्द्र संचालकों द्वारा स्वयं की जायेगी।

6. चावल एवं चना दाल का क्रय यथासंभव बाजार समिति की दर के अंतर्गत किया जायेगा।

7. उपरोक्त सारणी के कॉलम–7 के अनुसार केन्द्र संचालकों को एकमुश्त उपलब्ध करायी जाने वाली राशि, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित उपायुक्तों को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे एवं चावल तथा दाल के क्रय संबंधी विपत्रों का भुगतान तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से केन्द्र संचालकों को एकमुश्त उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए व्यय का विवरण विभाग को प्रेषित करेंगे।

उक्त केन्द्रों के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ उपयुक्त व्यक्तियों को मिले।

9. प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों को योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली सामग्रियों की आवंटन पंजी संधारित की जायेगी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपायुक्त के हस्ताक्षर से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले मजदूरों का व्योरा भी संधारित किया जायेगा एवं वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना के अंतर्गत स्थापित सभी प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों को नियमित एवं सुचारू रूप से चलाने एवं निर्धारित संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों को एक समय का खाना निःशुल्क प्रत्येक दिन उपलब्ध कराना जिला के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. जिले के उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किये गये इन प्रवासी मजदूर दाल–भात केन्द्रों की अवस्थिति (Location) की विवरणी का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि समस्त इच्छुक

मनोज

लाभुक इन दाल–भात केन्द्रों का लाभ उठा सकें। इस आशय की विवरणी विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. आवंटित राशि की निकासी उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री दाल–भात/कैंटीन योजना के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी। आवंटित राशि निर्धारित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत है।

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला स्तर पर उपायुक्त एवं विभाग स्तर पर अपर मुख्य सचिव होंगे।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.7.2003 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी की जायेगी।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय। ध्यान रहे कि एक बार में उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की खर्च किया जा सके। साथ ही जो राशि 31 मार्च 2021 तक व्यय नहीं हो, उसे प्रत्यार्पित कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक में नहीं रखा जाय। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि का दूसरे वित्तीय वर्ष में व्यय करना घोर वित्तीय अनियमितता है।

16. राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय।

*नोट :– यह आवंटनादेश **www.jharkhand.gov.in** से भी **download** किया जा सकता है।*

अनु० – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22.5

(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – खा०बज०–3 (मु०दा०भा०यो०)–05/2020 – 1252 /राँची, दिनांक – 22.05.20

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जमशेदपुर/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/योजना प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–2/प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.5.20

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – खा०बज०–3 (मु०दा०भा०यो०)–05/2020 – 1252 /राँची, दिनांक – 22.05.20

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड लिमिटेड, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम उपलब्ध करायी गई राशि का ससमय प्रतिपूर्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

22.5.20

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\Mukesh - 2020-21\0. Plan Allotment - Combined\5. Dal-Bhat 8th_TO_Allot....Migrant Labour.doc

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/20-MDB8/1252 दिनांक - 22-May-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सबसिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24353	CTRCSP001 BIPIN KUMAR DUBEY D.S.O.CHATRA	139,800.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार आठ सौ
2	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सबसिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24355	BKRCSP001 SADAT ANWAR D.S.O, BOKARO	167,760.00 रुपये एक लाख सड़सठ हजार सात सौ साठ

योग: 307,560.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख सात हजार पाँच सौ साठ

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 Run Date: 22/5/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सबसिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24356	DHNCSP006 BHOGENDRA THAKUR DIST.SUPPLY OFFICER DHANBAD	139,800.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार आठ सौ
4	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सबसिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24357	PLMCSP001 AMIT PRAKASH DIST SUPPLY OFFICER PLM	167,760.00 रुपये एक लाख सड़सठ हजार सात सौ साठ
5	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सबसिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24360	GDDCSP004 DEVENDRA SINGH DIST. SUPPLY OFFICER, GODDA	167,760.00 रुपये एक लाख सड़सठ हजार सात सौ साठ

योग: 475,320.00

क्रमिक योग: रुपये सात लाख बयासी हजार आठ सौ अस्सी 782,880.00

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 Run Date: 22/5/2020

पत्र संख्या - 5/20-MDB8/1252 दिनांक - 22-May-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सब्सिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24361	GRHCSP004 PRADIP KUMAR DIST.SUPLY OFF.GARHWA	2,166,900.00 रुपये इक्कीस लाख छाछठ हजार नौ सौ
7	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सब्सिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24363	HZBCSP003 SANTOSH SINGH D.S.O.,HAZARIBAG	279,600.00 रुपये दो लाख उन्नासी हजार छः सौ
8	S 18 345600102230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सब्सिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24364	DGRCSPF30 VISHAL DEEP KHALKHO DIST SUPPLY OFFICER DEOGHAR	279,600.00 रुपये दो लाख उन्नासी हजार छः सौ

योग: 2,726,100.00

क्रमिक योग: रुपये पैंतीस लाख आठ हजार नौ सौ अस्सी 3,508,980.00

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 Run Date: 22/5/2020

पत्र संख्या - 5/20-MDB8/1252 दिनांक - 22-May-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 18 345600796230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सब्सिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24348	SGHCSP001 JAIDEEP TIGGA DISTRICT SUPPLY OFFICER	223,680.00 रुपये दो लाख तेइस हजार छः सौ अस्सी
10	S 18 345600796230652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 23 - मुख्यमंत्री दाल-भात/कैन्टीन योजना 05 - अनुदान 52 - सब्सिडी **State Scheme** State Scheme : MUKHYAMANTRI DAL-BHAT/CANTEEN YOJNA(0288) Centeral Scheme : NA	24349	JSRDAD052 NAVIN KUMAR DIST.SUPPLY OFFICER JSR.	223,680.00 रुपये दो लाख तेइस हजार छः सौ अस्सी

योग: 447,360.00

क्रमिक योग: रुपये उनचालीस लाख छप्पन हजार तीन सौ चालीस 3,956,340.00

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 Run Date: 22/5/2020